भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †4877

दिनांक 23.07.2019/1 श्रावण,1941 (शक) को उत्तर के लिए

अपराधों में वृद्धि

†4877. श्री एस.आर. पार्थिबनः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में साल दर साल अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस रूझान को रोकने तथा देश को अपराध मुक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन "भारत में अपराध" में अपराध से संबंधित सूचना संकलित और प्रकाशित करता है। प्रकाशित रिपोर्टें वर्ष 2016 तक के लिए उपलब्ध हैं। वर्ष 2014, 2015 और 2016 के दौरान भारतीय दंड संहिता के तहत पंजीकृत कुल संज्ञेय अपराधों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं तथा अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से अपराध को रोकने, उसका पता लगाने, पंजीकरण और जांच और अपराधियों पर मुकदमा चलाने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस को अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(i) गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके ''साक्षी सुरक्षा योजना, 2018'' तैयार की है। इस स्कीम में धमकी के आंकलन के आधार पर गवाहों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है

(ii) राष्ट्रीय स्तर पर अपराध और अपराधी के संबंध में, रिपोर्ट दर्ज करने, सूचना का संग्रहण और आदान-प्रदान करने के लिए अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (सीसीटीएनएस) नामक एक साझा प्लेटफार्म कार्यान्वित किया गया है।

(iii) न्याय प्रदायगी प्रणाली को त्वरित तथा पारदर्शी बनाने के लिए सीसीटीएनएस को एक चरणबद्ध तरीके में न्यायालयों और कारागार डाटाबेसों और साथ ही दांडिक न्याय प्रणाली के अन्य स्तंभों (पिलरों) जैसे कि फॉरेंसिक, अभियोग तथा किशोर गृह इत्यादि के साथ एकीकृत करने के लिए, एक "अंतर-प्रचालनीय दांडिक न्याय प्रणाली" शुरू की गई है।

(iv) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करने के लिए, दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसार यौन हमले से संबंधित मामलों की समयबद्ध जांच की निगरानी करने और उनका पता लगाने के लिए पुलिस के प्रयोजनार्थ "यौन अपराध जांच ट्रैकिंग प्रणाली" नामक एक ऑनलाइन विश्लेषणात्मक टूल शुरू किया गया है।

(v) कई राज्यों में साइबर अपराध फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं और साइबर अपराधों की पहचान करने, पता लगाने और उनका समाधान करने के लिए 410 लोक अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों सहित 3,664 से अधिक कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(vi) जांच में सुधार करने के लिए, केंद्रीय और राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण इकाइयों को सशक्त बनाने हेतु कदम उठाए गए हैं। इसमें केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, चंडीगढ़ में अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण इकाई की स्थापना करना शामिल है। गृह मंत्रालय ने 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण इकाइयों की स्थापना और स्तरोन्नयन करने की भी मंजूरी प्रदान की है।

(vii) गृह मंत्रालय राज्य सरकारों को उनके पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए निधियां भी जारी करता रहता है।

******

अनुलग्नक

दिनांक 23.07.2019 का लो.स.अता.प्र.सं.4877

वर्ष 2014, 2015 और 2016 के दौरान भारतीय दंड संहिता के तहत पंजीकृत कुल संज्ञेय अपराधों का राज्य-वार ब्यौरा				
क्र.सं.	**राज्य**	**2014**	**2015**	**2016**
1	आंध्र प्रदेश	114604	110693	106774
2	अरुणाचल प्रदेश	2843	2968	2534
3	असम	94337	103616	102250
4	बिहार	177595	176973	164163
5	छत्तीसगढ़	58200	56692	55029
6	गोवा	4466	3074	2692
7	गुजरात	131385	126935	147122
8	हरियाणा	79947	84466	88527
9	हिमाचल प्रदेश	14160	14007	13386
10	जम्मू और कश्मीर	23848	23583	24501
11	झारखंड	45335	45050	40710
12	कर्नाटक	137338	138847	148402
13	केरल	206789	257074	260097
14	मध्य प्रदेश	272423	268614	264418
15	महाराष्ट्र	249834	275414	261714
16	मणिपुर	3641	3847	3170
17	मेघालय	3679	4079	3366
18	मिजोरम	2140	2228	2425
19	नागालैंड	1157	1302	1376
20	ओडिशा	74569	83360	81460
21	पंजाब	37162	37983	40007
22	राजस्थान	210418	198080	180398
23	सिक्किम	1065	766	809
24	तमिलनाडु	193200	187558	179896
25	तेलंगाना	106830	106282	108991
26	त्रिपुरा	5499	4692	3933
27	उत्तर प्रदेश	240475	241920	282171
28	उत्तराखंड	9156	10248	10867
29	पश्चिम बंगाल	185672	179501	176569
	कुल (राज्य)	**2687767**	**2749852**	**2757757**
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	746	862	802
31	चंडीगढ़	3221	3248	2996
32	दादरा एवं नगर हवेली	277	269	244
33	दमन एवं दीव	233	302	271
34	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	155654	191377	209519
35	लक्षद्वीप	81	50	36
36	पुदुचेरी	3584	3440	4086
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**163796**	**199548**	**217954**
	कुल (अखिल भारत)	**2851563**	**2949400**	**2975711**
स्रोत: भारत में अपराध				